

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, तारापुर।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-07/2023-24
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट-www.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक -...../तारापुर दिनांक -.....

1. कार्य का विवरण -

क्रम सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रघन की राशि (लाख रू० में) (ऑनलाईन अथवा बैंक गारन्टी)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में मुगतेय) रू०	बेलट्रॉन को देय "बीड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में मुगतेय) रू०	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01.	सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अन्तर्गत खड़गपुर झील स्थित निरीक्षण भवन का जिर्णोद्धार कार्य	198.00	3.96	10000.00	3540.00	12माह

- विज्ञापन दाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर।
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक -05.02.2024।
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि : दिनांक-28.02.2024 के 10.00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 05.03.2024 के 03.00 बजे अपराह्न तक (केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- प्री-बीड मीटिंग का समय स्थान एवं तिथि : दिनांक-02.03.2024 को 01.00 बजे अपराह्न में मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय कक्ष में।
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 06.03.2024 के अपराह्न 03.30 बजे (केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर घोषित की जायेगी।
- निविदा खोलने का स्थान : केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
- निविदा की वैधता अवधि : निविदा प्राप्ति के 120 दिन बाद तक।
- विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु : वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in/www.wrd.bih.nic.in/ www.state.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, तारापुर।

11. समुचित श्रेणी में नवीकृत निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। वैसे संवेदक जो किसी विभाग द्वारा डिवार अथवा कालीकृत किये गया हो या किसी कार्य को अधुरा छोड़ा गया हो इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
12. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
13. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

14. (क) **e-Tendering/e-Procurement** प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान **online mode (e-Payment mode)** यानी **Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS** द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) **e-Tendering/e-Procurement** प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि **Online mode (e-Payment mode)** के तहत अग्रधन की राशि **Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अथवा बिना शर्त वाली बैंक गारंटी (**as per Prescribed format**) जो बीड के मान्य अवधि (120 दिन+45 दिन= 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल तारापुर के पदनाम से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना आवश्यक होगा)

अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ग) "Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/Non reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

(घ) **BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode"**.

15. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG,ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents and Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
19. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु वीड को अपलोड कर लें।
20. संवेदक के विपत्र से 1%(एक प्रतिषत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जाएगी।
21. सफल निविदा दाता के विपत्र से जल संसाधन विभाग का पत्रांक-719, दिनांक- 15.10.2019 एवं खनन एवं भूतत्व विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-3387, दिनांक- 26.09.2019 एवं पत्रांक . 4587 दिनांक- 11.09.2023 के अनुसार रॉयल्टी/मलिकाना फीस काटी जायेगी।
22. निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे-सभी शपथ पत्र(मूल में), बैंक गारंटी (मूल में) एकरानामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
23. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-50 दिनांक 20.01.2020, पथ निर्माण विभाग, विहार, पटना की अधिसूचना संख्या 447(S) दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449(S) दिनांक-16.01.2020 के आलोक में प्रतिषत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागु किया गया है।
24. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26. निविदा निष्पादन/कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन आदेश/परिपत्र का आदेश बाध्यकारी होगा।
27. The pre-qualification bid will be decided on the following papers
 - a. Paper Regarding appropriate registration in the Department must be submitted.
 - b. Required earnest money must be submitted as par BOQ.(in shape of bank Guarantee only)
 - c. Certificate of key equipment availability (either owned or leased or by procurement)
 - d. निविदित कार्य के समरूप न्यूनतम एक कार्य (minimum one similar work),जिसका न्यमनतम प्राक्कलित राशि निविदित कार्य के प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिषत हो, का क्रियान्वयन इच्छुक संवेदक द्वारा पूर्व में किया गया हो यह आवश्यक होगा।
 - e. Contractor will have to submit oath as follows- "I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachmebnts are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing".
 - f. Valid character certificate.
28. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
29. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
30. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक-124 दिनांक 04.02.2021 के अलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
31. संवेदक अपना मान्य E-mail ID, टेलिफोन/मोबाईल नं0 को अलग से पेपर पर लिख कर देंगे।

32. यह निविदा आमंत्रण सूचना निविदा अभिलेख का एक अंश होगा। कार्यावंटन आदेश निर्गत होने के उपरान्त सफल निविदाकर को निर्धारित अवधि में वांछित प्रारंभिक प्रतिभूति समर्पित कर एकरारनामा अनुबद्ध करना आवश्यक होगा।
33. संवेदक द्वारा जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1015 दिनांक-13.12.2021 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
34. विभागीय पत्रांक-205 दिनांक-20.03.2023 का अनुपालन वाध्यकारी होगा।
35. मिट्टी के संपीडन के संबंध में संयुक्त सचिव अभियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक-730 दिनांक-17.10.2019 का अनुपालन किया जाएगा।
36. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/e-Proc2.0 का Helpdesk Number-18005726571, 7605084942 तथा M.Junction Limited RJ complex 2nd Floor Canara Bank Campus Kajpura Ashiana Road P.S- Shastri Nagar Patna-800014 Bihar कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, तारापुर

पत्रांक:- 146

तारापुर/ दिनांक - 05/02/2024

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति एवं एक सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय /स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, तारापुर
05-02-24